संख्या- ५२/2023/383मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2023/ कम्प्यटर सं0-1775683

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30दिसम्बर, 2023

विषय: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषदों को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/393/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-25.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/405/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-28.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/482/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-28.11.2023 एवं पत्र सं0-तक0सेल/511/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-13.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त पत्र में उल्लिखित निकायों हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक विकास/सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से विस्तारित नगर पालिका परिषदों की संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराने हेतु कुल धनराशि रू0 572.06 लाख (रू0 पांच करोड़ बहत्तर लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में सम्पूर्ण धनराशि रू0 572.06 लाख (रू0 पांच करोड़ बहत्तर लाख छः हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/ 125/ 2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

7. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

8. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

9. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

10. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निगम की होगी तथा निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

11. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

12. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

14. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

17. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

18. संबंधित निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोंपरान्त एक प्रतिशत ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि सम्मिलित है। जिन निकायों द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में तीन प्रतिशत, आई0ई0सी0 एवं ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि शामिल की गयी है, उन निकायों को केवल एक प्रतिशत ए0एण्डओ0ई0 मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

19. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।

20. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 03 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

21. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।

22. प्रस्तावित कार्यो के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश दिनांक-08.08.2022 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से सत्यापन भी करा लिया जाये।

23. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,72,06,000 (रुपये पांच करोड़ बहत्तर लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 30-12-2023 18:49:11
Reason: Approved

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या- ५२(1)/383मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) संबंधित मण्डलायुक्त।
(7) संबंधित जिलाधिकारी।
(8) संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत द्वारा निदेशक।
(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

(10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-४१/383मु0मं0न0सृ0यो0-9-2-2023 कम्प्यटर सं0-1775683, दिनांक-30.12.2023 का अनुलग्नक

1-विस्तारित नगर पालिका परिषद, बिजनौर जनपद-बिजनौर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	राधे कृष्णा कॉलोनी में हृदय वैध भवन से रवि जेई के मकान से होते हुए चक्कर रोड तक सी०सी० रोड व नाली तथा इंटरलोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य	29.39	29.39
2	मोहल्ला सिविल लाइन प्रथम व रशीदपुर गढ़ी आंशिक नजीबाबाद रोड पर सैंट मैरी चौक से जितेन्द्र तोमर के मकान तक नाला निर्माण का कार्य	29.39	29.39
3	मंडावर रोड पर ईसाई कब्रिस्तान से पी० डब्लू० डी० की पुलिया तक नाला निर्माण का कार्य	26.73	26.73
4	पालिका सीमा अंतर्गत २३० नग ४५ वाट एल० ई० डी० स्ट्रीट लाइट की सप्लाई व फिक्सिग का कार्य	15.1	15.1
	1 % (ए0 एण्ड ओ0ई0)	1.01	1.01
	योग	**101.62**	**101.62**
		(रू0 एक करोड़ एक लाख बासठ हज़ार मात्र)	

2-विस्तारित नगर पालिका परिषद, अमरोहा, जनपद-अमरोहा

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	नगर पालिका परिषद अमरोहा के सीमा विस्तारित क्षेत्र स्थित मीरा सराय में आर्यन सिहं के मकान से जयपाल के मकान तक सी०सी० सडक व	24.064	24.064

	नाली निर्माण का कार्य।		
2	वार्ड नम्बर 10 ग्राम गुलडिया में बलवन्त सिहं के मकान से मुन्नू सिहं के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य।	18.68	18.68
3	वार्ड नम्बर 02 ग्राम हुसैनपुर में फिरोज के मकान से मुजाहिद के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण क कार्य।	10.883	10.883
4	मोहल्ला पुष्कर नगर में नई सडक से रेलवे स्टेशन तक, धर्मेन्द्र सिहं बिजली विभाग वालो की गली में सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य।	9.155	9.155
	1 % (ए0 एण्ड ओ0ई0)		
	योग	**63.410**	**63.410**
		(रू0 तिरसठ लाख इकतालीस हज़ार मात्र)	

3-विस्तारित नगर पालिका परिषद, पड़रौना, जनपद-कुशीनगर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि**	**निर्गत की जा रही धनराशि**
1	**2**	**4**	**5**
1	वार्ड न० 18 सुरेन्द्र जायसवाल के मकान से रवि प्रताप सिंह के मकान तक आर० सी० सी० नाला का निर्माण कार्य।	22.37	22.37
2	वार्ड न० 18 रवि प्रताप सिंह के मकान से राजेन्द्र जायसवाल के मकान तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	23.66	23.66
3	रामकोला रोड नौका टोला चुंगी से आयुष मेडिकल तक सड़क के दोनों तरफ आर० सी० सी० नाला का निर्माण कार्य।	20.44	20.44

4	नौका टोला रोड पर अर्जुन यादव के मकान से विकास चाय वाले के दुकान तक सड़क के दोनों तरफ आर० सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	19.65	19.65
5	नौका टोला रोड पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से साईफन पुलिया तक सड़क के दोनों तरफ आर०सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	20.49	20.49
	योग	**106.61**	**106.61**
		(रू0 एक करोड़ छ: लाख इकसठ हजार मात्र)	

4-विस्तारित नगर पालिका परिषद, बिलरियागंज, जनपद-आजमगढ़

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	वार्ड नं0 17 शहाबुद्दीनपुर में पंचायत भवन का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्य।	17.057	17.057
2	वार्ड नं0-25 शेखुपुर में ताहिर के घर से कब्रिस्तान तक सी0 सी0 का निर्माण कार्य।	10.859	10.859
3	वार्ड नं 0 4 तेन्दुआ में बिलरियागंज भीमवर रोड से आवादी होते हुए डीहा पिच मार्ग तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	39.496	39.496
4	वार्ड नं0-10 राहुल नगर में बालचन्द्र मिस्त्री के घर से हरिनाथ के घर तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य।	39.899	39.899
5	वार्ड नं0-6 भगतपुर में केदार प्रजापति के घर से डम्पिंग	34.8	34.8

	ग्राउण्ड तक पिच रोड़ का निर्माण कार्य।		
6	वार्ड नं0- 01 प्राथमिक विद्यालय मसीरपुर के कैम्पस में इण्टरलाकिंग एवं कमरों में टाईल्स का कार्य।	9.738	9.738
7	वार्ड नं0-4 तेन्दुआ प्राथमिक विद्यालय परिसर में गेट से पंचायत भवन तक आवागमन हेतु इण्टरलाकिंग फुटपाथ का कार्य।	10.417	10.417
	योग	**162.266**	**162.266**

(रू0 एक करोड़ बासठ लाख छब्बीस हजार छ: सौ मात्र)

5-विस्तारित नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संत कबीरनगर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि**	**निर्गत की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
1	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में वार्ड न010 मोहल्ला मोहद्दीनपुर में विजय शंकर के मकान से रामसूरत के मकान पर सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	32.91	32.91
2	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला कसैला में स्ट्रीट लाईट का स्थापना कार्य।	10	10
3	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला बनियाबारी विद्यालय का कायाकल्प एवं संन्दीकरण कार्य।	18	18
4	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला सादिंकगंज मे प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य।	17.5	17.5

5	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला सरैया मे प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य।	16.8	16.8
	1 % (ए0एण्डओ0ई0)	0.95	0.95
	योग	**96.16**	**96.16**
		(रू0 छियानबे लाख सोलह हजार मात्र)	

6-विस्तारित नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद जनपद-सीतापुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	नगर सृजन योजना के अंतर्गत मो बाकरपुर में आर सी सी पुलिया से गुरु बक्श मंदिर तक आर सी सी रोड एवं एक तरफ नाली निर्माण कार्य	8.04	8.04
2	नगर सृजन योजना के अंतर्गत वार्ड मॉल सराय में शोभा राम के मकान से राकेश यादव के मकान तक सी सी रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य	7.014	7.014
3	नगर सृजन योजना के अंतर्गत वार्ड मॉल सराय में चंद्र केश के मकान से प्रकाश के हाता तक सी सी रोड एवं एक तरफ नाली निर्माण कार्य	10.027	10.027
4	नगर सृजन योजना के अंतर्गत मॉल सलसराय में राकेश यादव के मकान से हरिश्चंद्र यादव के मकान तक सी सी रोड व् दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य	6.711	6.711
5	नगर सृजन योजना के अंतर्गत कुम्हारन पुरवा में मिनी ट्यूबवेल स्थापना का कार्य	9.786	9.786
	1% (ए0एण्डओ0ई0)	0.416	0.416
	योग	**41.994**	**41.994**
		(रू0 इकतालीस लाख निन्यानबे हज़ार चार सौ मात्र)	